डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 04/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई-श्रीनगर/सीपी-III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 04/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसएक्सआर) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 05 जुलाई, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉमप्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वित्त वर्ष 2019-20 (महामारी से पहले वाले वर्ष) में लगभग 2.82 एमपीपीए यात्रियों का आवागमन हुआ। कोविड-19 महामारी के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में हवाईअड्डे पर यात्री यातायात की संख्या स्थिर रही और वित्त वर्ष 2022-23 में यहां से 4.40 एमपीपीए से अधिक लोगों ने यात्रा की।

प्राधिकरण ने हवाई यातायात के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध समस्त जानकारी, हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई जैसे उद्योग निकायों और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के मत को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के बाद कारोबार संबंधी मौजूदा परिदृश्य के संभावित परिवर्तनों और अनिश्चितताओं के कारण यातायात एवं अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन की समीक्षा की है।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2017-वित्त वर्ष 2021) के सभी पांच (05) टैरिफ वर्षों के (श्रीनगर हवाईअड्डे के लेखापरीक्षित कच्चे मिलान) लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र i) भारत सरकार के वाणिज्यिक उड़ानों को पुन: शुरू करने और यात्री/एटीएम यातायात को बढ़ाने के निर्णय की पृष्ठभूमि में और ii) हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) का विश्लेषण और अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव पेश करके यह परामर्श पत्र जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 05 जुलाई, 2023 के परामर्श पत्र संख्या 04/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in, rajan.gupta@aera.gov.in., secretary@aera.gov.in,

हितधारकों की परापर्श बैठक	:	19 जुलाई, 2023
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	02 अगस्त, 2023
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	11 अगस्त, 2023

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : द्वितीय नियंत्रण अवधि का टूअप

4.11.1 तालिका 8 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 9 में उल्लेख किए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 10 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 तालिका 11 में की गई प्रस्तुति केअनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.5 तालिका 18 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.11.6 श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए तालिका 20 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.7 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 21 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना और इस कमी को तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 25 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

5.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को टूअप करना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

6.6.1 तालिका 27 में दिए गए विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2021 की परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के वैमानिक और गैर वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन को मानना।

6.6.2 तालिका 33 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.6.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर वैमानिक व्यय को टू-अप करना।

6.6.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त यदि परियोजना पूर्ण होने में विलंब एएआई या इसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण की वजह से होता है और इसे ठीक ढंग से औचित्यपूर्ण बताया जाता है तो चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक लागत को टू-अप करने के दौरान प्राधिकरण द्वारा इसे मान लिया जाएगा। ।

6.6.5 तालिका 35 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.6.6 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.6.7 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 37 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.6.8 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 7 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.3.1 एएआई द्वारा प्रस्ताव किए अनुसार 6.21 % पर ऋण की लागत को मानना।

7.3.2 तालिका 41 के अनुसार 14 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

7.3.3 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 43 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.88% के एफआरओआर को मानना।

7.3.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक औसतन भारित लक्ष्य संबंधी अनुपात के एफआरओआर को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 44 में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 9: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 49 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 10: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 53 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 56 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

अध्याय 12: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

अध्याय 13 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.3.1 श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए तालिका 59 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.3.1 श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए तालिका 63 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 2 अगस्त, 2023 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)